भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 511
सोमवार, 30 मार्च, 2026 / 09 चैत्र, 1948 (शक)

वास्तविक मूल वेतन के आधार पर पेंशन की गणना

***511. श्री गिरिधारी यादवः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के अंतर्गत पेंशन की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है जिसके परिणामस्वरूप अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन नहीं मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेंशन की गणना वास्तविक मूल वेतन के आधार पर करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

“वास्तविक मूल वेतन के आधार पर पेंशन की गणना” के संबंध में श्री गिरिधारी यादव द्वारा दिनांक 30.03.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *511 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस 95) एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) 15,000 रुपये तक के वेतन पर केंद्र सरकार द्वारा 1.16% के अंशदान से मिलकर बनता है। ईपीएस-95 में दी गई परिभाषा के अनुसार "वेतन" से महंगाई भत्ते, प्रतिधारण भत्ते और अनुज्ञेय खाद्य रियायतों के नकद मूल्य सहित मूल वेतन अभिप्रेत है।

योजना के तहत समस्त लाभों का भुगतान उक्त संचित राशि से किया जाता है। मासिक पेंशन की राशि की गणना निम्नलिखित कारकों के अनुसार की जाती है:

$$\text{मासिक पेंशन} = \frac{\text{पेंशन योग्य सेवा} \times \text{पेंशन योग्य वेतन}}{70}$$

दिनांक 01.09.2014 तक की स्थिति के अनुसार, उन मौजूदा सदस्यों के लिए एक नया पैरा 11(4) जोड़ा गया था, जो 6500/- रूपए (तत्कालीन वेतन सीमा) से अधिक वेतन पर अंशदान के लिए पूर्ववर्ती पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग करते हुए वेतन सीमा से ऊपरी वेतन पर ईपीएस 1995 में अंशदान कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.09.2014 से, केवल ऐसे सदस्य ही ईपीएस सदस्य बनने के पात्र हैं जिनका वेतन, योजना में शामिल होने के समय 15000/- रुपये तक है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 को सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस) 2020 के तहत समाहित कर लिया गया है, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी हो गई है।
